तथा केन्द्रीय श्रम विभाग की अपेक्षा के कारण मजदूरों को मजूरी नहीं दी गई है और वे बेरोजगार हो गए हैं ;

(घ) क्या कम्पनी की 80 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली सैकड़ों खानें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और मजदूरों की संख्या कम हो रही है ; और

(ङ) क्या सरकार कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेगी और यदि नहीं, तो हजारों मजदूरों के रोजगार की रक्षा करने तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) यह सूचित किया गया है कि मैसर्स क्रिसचियन माइका इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (सहायक प्रतिष्ठान) की अभ्रक खानों और अभ्रक कारखानों के लगभग 3,000 श्रमिकों को 6 मास से 1½ वर्ष की अवधि की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) यह सूचित किया गया है कि क्रिसचियन माइका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के छः सहायक प्रतिष्ठानों से 18.76 लाख रुपये की राशि भविष्य निधि अंशदान की ओर देय है।

(ग) से (ङ). यह सूचित किया गया है कि अभ्रक-खानों और कारखानों का उत्पादन और आय कम्पनी के सभी दायित्वों और कर्मचारियों की मजूरी की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। नई दिल्ली में 30 जुलाई, 1977 को होने वाली सभी संबंधित पक्षों की बैठक में सभी सम्बद्ध समस्याओं पर विचार-विमर्श किए जाने का विचार है।

Issue of Drug Licences to Doctors

5288. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether prior to 1970, drug licences used to be issued to qualified private doctors for commercial purposes under the Drugs Act; and

(b) if so, whether the some practice is still being followed ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN):

(a) Yes.

(b) Yes.

नियोक्ताओं की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि

5289. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियोक्ताओं की ओर भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है और उसका वर्ष 1974, 1975 और 1976 का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस बारे में किन नियोक्ताओं तथा फर्मों की ओर दस लाख रुपए से अधिक की धनराशि बकाया है ; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). दो विवरण 'क' और 'ख' सभा की मेज पर रख दिए गए हैं ;

(ग) (i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 (भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में देय राशि की वसूली),